



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:- 24-12-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त शहबाज को जान से मारने के प्रयास के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष, 06 माह के कारावास तथा कुल 6000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 170/2010, धारा- 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शहबाज पुत्र असलम निवासी- सी 15/200, लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24-12-2024 को मा0 न्यायालय A/C मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट में अधिकतम 02 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी